328

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांक प.2(1)प्र.सु./अनु.–1/2016 जयपुर दिनांक 1-4-16

परिपत्र

राज्य सरकार ने सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले अधिनियमों को जारी करने से पूर्व आमजन से विभिन्न स्तर पर सुझाव प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये है। इस क्रम में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे, अपने विभाग से जारी होने वाले समस्त व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित अधिनियमों को अधिसूचित (Notify) करने से पूर्व उसका प्रारूप (Draft) विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराकर आमजन से सुझाव/टिप्पणी प्राप्त करेंगें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि सभी प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों को संकलित कर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा अधिसूचित अधिनियम (Notified Business Regulation) में इन सुझावों/टिप्पणियों को किस प्रकार से समावेशित किया गया है, यह भी प्रदर्शित किया जायेगा।"

(राकेश वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव/विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

(शक्ति सिंह राठौड)
संयुक्त शासन सचिव

05 APR 2016

कार्यालय का पताः मुख्य भवन, कमरा नं. 2108, शासन सचिवालय, जयपुर दुरभाष नं. 2227654 फैक्स नं.– 2227792
ई–मेल आई.डी.– jsargor@gmail.com